

कार्यालय, अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण उ०प्र० लखनऊ।
आदेशांक-वा०क०अधि०/दस-३(ग)/जांच/— /2025, लखनऊ: दि०: जनवरी, 03, 2025
—:आदेश:—

श्री प्रखर गुप्ता, निलम्बित वरिष्ठ सहायक, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-4 कानपुर सम्बद्ध पीठ-बरेली द्वारा अपना प्रतिउत्तर दिनांक 19.12.2024 प्रेषित किया गया है, उल्लेखनीय है कि श्री गुप्ता द्वारा अभिलेख पटल से संबंधित चार्ज प्राप्त न करने तथा दिनांक 17.10.2024 को निबंधक महोदय से टेलीफोन पर हुई वार्ता के समय उनके द्वारा असम्य आचरण किए जाने के कारण मुख्यालय के आदेशांक-3700/24 दिनांक 17.10.2024 द्वारा निलम्बित करते हुए प्रारंभिक जांच हेतु श्री अजय विक्रम सिंह, न्यायिक सदस्य पीठ-1 लखनऊ को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। जांच अधिकारी द्वारा श्री प्रखर गुप्ता को प्रथम दृष्ट्या दोषी पाया गया है। श्री प्रखर गुप्ता, वरिष्ठ सहायक द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण दिनांक 19.12.2024 को संतोषजनक न पाए जाए जाने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

अतः सम्यक् विचारोपरांत उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार श्री प्रखर गुप्ता, निलम्बित वरिष्ठ सहायक, की दो वेतन वृद्धियां 3-3 वर्ष के लिए अस्थायी रूप से रोकी जाती हैं। उनका निलम्बन एवं पीठ-बरेली की सम्बद्धता तत्काल प्रभाव से समाप्त करते हुए सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-3 कानपुर में अभिलेखपाल के पद पर सम्बद्ध किया जाता है। श्री गुप्ता को निलम्बन अवधि का कोई वेतन एवं भत्ते देय नहीं होंगे तथा उनको निलम्बन अवधि में प्राप्त जीवन निर्वाह भत्ता तक सीमित किया जाता है।

ह०/03.01.2025

(प्रतिमा श्रीवास्तव)

एच०जे०एस०

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या-वा०क०अधि०/दस-३(ग)/जांच/ 49 /2025. तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-1 कानपुर (आहरण वितरण अधिकारी)।
2. कोषाधिकारी कानपुर नगर।
3. सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-3/4 कानपुर।
4. सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-बरेली।
5. वरिष्ठ सहायक लेखा, पीठ-1 कानपुर।
6. संबंधित व्यक्ति एवं व्यक्तिगत पत्रावली।

आज्ञा से,



(तरुण कुमार)

निबंधक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ह०/03.01.2025

(प्रतिमा श्रीवास्तव)

एच०जे०एस०

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।